

**प्रमाणन विनियमन का अनुबंध (ICS-BIO3CC-D1.16)
तीसरे देशों में लागू नियंत्रण उपायों के संबंध में**

अनुच्छेद 1
विनियमन का दायरा

प्रमाणन विनियमन का यह अनुबंध प्रमाणन विनियमन का पूरक है और केवल उस नियंत्रण प्रणाली पर लागू होता है जिसे ACERT SA तीसरे देशों में लागू करता है। यह उन सभी नियंत्रण उपायों का वर्णन करता है जो तीसरे देशों में आवेदन करने वाले ऑपरेटर जैविक उत्पादन पर विनियमन (ईयू) 2018/848, विनियमन (ईयू) 2017/625 और विनियमन (ईयू) 2021/1698 के अनुसार जैविक निरीक्षण और प्रमाणन योजना संचालित कर रहे हैं। और जैविक उत्पादों की लेबलिंग।

अनुच्छेद 2
सामान्य नियम

1. ACERT, ACERT के नियंत्रण सिस्टम में पंजीकृत तीसरे देशों के सभी ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों पर नियंत्रण करता है ताकि विनियमन (EU) 2018/848 और विनियमन (EU) 2021/1698 के साथ उनके अनुपालन को सत्यापित किया जा सके। उपर्युक्त नियंत्रण में शामिल है:
 - (a) उत्पादन, तैयारी और वितरण के हर चरण में अनुच्छेद 9(6) और विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 28 में उल्लिखित निवारक और एहतियाती उपायों के आवेदन का सत्यापन;

(बी) जहां होल्लिंग में गैर-कार्बनिक या इन-कन्वर्जन उत्पादन इकाइयां शामिल हैं, वहां ऑर्गेनिक, इन-कन्वर्जन और गैर-जैविक उत्पादन के बीच स्पष्ट और प्रभावी अलगाव सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड और उपायों या प्रक्रियाओं या व्यवस्थाओं का सत्यापन किया जाता है। इकाइयों के साथ-साथ उन इकाइयों द्वारा उत्पादित संबंधित उत्पादों और जैविक, इन-रूपांतरण और गैर-जैविक उत्पादन इकाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों और उत्पादों के बीच। इस तरह के सत्यापन में पारसल पर जांच शामिल होगी जिसके लिए पिछली अवधि को रूपांतरण अवधि के हिस्से के रूप में पूर्वव्यापी रूप से मान्यता दी गई थी, और गैर-कार्बनिक उत्पादन इकाइयों पर जांच शामिल होगी;

(ग) जहां जैविक, रूपांतरित और अजैविक उत्पादों को प्रचालकों द्वारा एक साथ एकत्रित किया जाता है, एक ही तैयारी इकाई, क्षेत्र या परिसर में तैयार या भंडारित किया जाता है, या अन्य प्रचालकों या इकाइयों को ले जाया जाता है, वहां अभिलेखों और उपायों, प्रक्रियाओं या व्यवस्थाओं का सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कार्य स्थान या समय के अनुसार अलग-अलग किए जाते हैं, उत्पादों के प्रतिस्थापन को रोकने के लिए उपयुक्त सफाई उपाय और उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं, जैविक उत्पादों और रूपांतरित उत्पादों की हर समय पहचान की जाती है, जैविक, रूपांतरित और अजैविक उत्पादों को तैयारी कार्यों से पहले और बाद में एक-दूसरे से स्थान या समय के अनुसार अलग-अलग भंडारित किया जाता है, और प्रत्येक लॉट की अलग-अलग भूमि के टुकड़ों से संग्रह केंद्र तक पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित की गई है।

2. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुपालन के सत्यापन के लिए एसीईआरटी द्वारा नियंत्रण तीसरे देशों में सभी ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों पर नियमित रूप से, जोखिम के आधार पर और उचित आवृत्ति के साथ, उत्पादन, तैयारी और वितरण के सभी चरणों में पूरी प्रक्रिया के दौरान विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 3 के बिंदु (57) में परिभाषित गैर-अनुपालन की संभावना के आधार पर किया जाएगा, जिसे निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा:

- (क) प्रचालकों और प्रचालकों के समूहों का प्रकार, आकार, जिसमें नए जोड़े गए भूमि खंड भी शामिल हैं, तथा उनकी संरचना, साथ ही प्रचालकों के समूह में शामिल होने वाले नए सदस्यों की संख्या;
- (ख) ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों की गतिविधियों या संचालन का स्थान और जटिलता;
- (सी) वह समय अवधि जिसके दौरान संचालक और संचालकों के समूह जैविक उत्पादन, तैयारी और वितरण में शामिल रहे हैं;
- (डी) इस अनुच्छेद के अनुसार किए गए नियंत्रणों के परिणाम, विशेष रूप से विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुपालन के संबंध में ;
- (ई) ऑपरेटरों के समूह के मामले में, ऑपरेटरों के समूह के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम की दस्तावेजी प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए आंतरिक निरीक्षण के परिणाम;
- (एफ) क्या होल्लिंग में गैर-जैविक या रूपांतरण वाली उत्पादन इकाइयां शामिल हैं;
- (छ) उत्पादों का प्रकार, मात्रा और मूल्य;
- (ज) गैर-अधिकृत उत्पादों या पदार्थों के साथ उत्पादों के मिश्रण या संदूषण का जोखिम ;
- (i) ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों द्वारा नियमों में छूट या अपवाद लागू करना ;
- (जे) उत्पादन, तैयारी और वितरण के प्रत्येक चरण पर गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण बिंदु ;
- (ट) उपठेका गतिविधियाँ;
- (ठ) क्या प्रचालकों या प्रचालकों के समूहों ने अपना प्रमाणन नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय बदल दिया है;
- (एम) कोई भी सूचना जो यह दर्शाती हो कि उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है;
- (न) कोई भी जानकारी जो विनियमन (ईयू) 2018/848 के गैर-अनुपालन का संकेत दे सकती है।

3. आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/771 (5) के अनुच्छेद 2 और आयोग के अनुच्छेद 4, 5 और 6 कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/279 (6) तीसरे देशों में ऑपरेटरों के समूहों के संबंध में नियंत्रणों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

4. ACERT सभी ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों के लिए विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुपालन का सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करेगा। अनुपालन के सत्यापन में मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण शामिल होगा।

5. एसीईआरटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रति वर्ष अनुच्छेद 4 में उल्लिखित नियंत्रणों के अतिरिक्त कम से कम 10% नियंत्रण लागू करेगा। एसीईआरटी द्वारा किए जाने वाले सभी भौतिक मौके पर निरीक्षणों में से कम से कम 10% बिना किसी पूर्व सूचना के किए जाएंगे।

6. किसी संदिग्ध या स्थापित गैर-अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में किए गए नियंत्रणों को पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट अतिरिक्त नियंत्रणों में नहीं गिना जाएगा।

7. हर साल, ACERT ऑपरेटरों के समूह के कम से कम 5% सदस्यों का, लेकिन 10 से कम सदस्यों का दोबारा निरीक्षण नहीं करेगा। जहां ऑपरेटरों के समूह में 10 या उससे कम सदस्य हैं, वहां सभी सदस्यों का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा।

8. महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं पर अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एसीईआरटी द्वारा भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण और नमूनाकरण सबसे उपयुक्त समय पर किया जाएगा।

विनियमन (ईयू) 2021/1698 के अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट उच्च जोखिम वाले उत्पादों के लिए, एसीईआरटी ऑपरेटरों या ऑपरेटरों के समूहों के प्रति वर्ष कम से कम दो भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण करेगा। इनमें से एक भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के होगा।

9. जहां ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह क्रय और संग्रहण केंद्रों सहित कई उत्पादन इकाइयां या परिसर चलाते हैं, वहां गैर-जैविक उत्पादों के लिए उपयोग की जाने वाली क्रय और संग्रहण केंद्रों सहित सभी उत्पादन इकाइयां या परिसर भी पैराग्राफ 4 में निर्धारित नियंत्रण आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

10. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 45(1) के बिंदु (बी)(आई) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की डिलीवरी या नवीनीकरण इस अनुच्छेद में संदर्भित अनुपालन के सत्यापन के परिणामों पर आधारित होगा।

11. ऑपरेटरों या ऑपरेटरों के समूहों को प्रमाणित करने से पहले, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों या ऑपरेटरों के समूहों ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

अनुच्छेद 3 **परिभाषाएं**

विनियमन (ई.सी.) संख्या 834/2007 के अनुच्छेद 2 और विनियमन (ई.सी.) संख्या 889/2008 के अनुच्छेद 2 में निर्धारित परिभाषाएं प्रमाणन विनियमन के वर्तमान अनुलग्नक के प्रयोजनों के लिए लागू होंगी।

अनुच्छेद 4 **लेखा परीक्षा, प्रमाणीकरण और निगरानी**

A. पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. आवेदन :

सभी इच्छुक ऑपरेटरों को प्रमाणन के लिए आवेदन करने का अधिकार है। इच्छुक ऑपरेटरों को प्रमाणन निकाय से या प्रमाणन निकाय की वेबसाइट (www.a-cert.org) के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है:

- प्रमाणीकरण विनियमन ;
- उपयुक्त उपभवन का प्रमाणीकरण अनुरोधित प्रमाणीकरण के प्रकार के अनुसार विनियमन ;
- उपयुक्त मूल्य सूची , के अनुसार अनुरोधित प्रमाणन प्रकार ;
- आवेदन पत्र;
- दस्तावेज़ घोषणा - ऑपरेटर के संबंध में विवरण अनुरोधित प्रमाणन प्रकार और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ .

इसके अलावा , विनियमन (ईयू) 2018/848 को इसमें शामिल किया गया है ACERT की वेबसाइट । सभी इच्छुक पक्ष ACERT के उपर्युक्त दस्तावेज़ ईमेल या डाक द्वारा अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं ।

इच्छुक दल भरण में और भेजता है को एसीईआरटी करें दस्तावेज़ उल्लिखित में अंक डी और इ । यह प्रक्रिया प्रमाणन का दायरा संशोधित (विस्तार या कमी) होने की स्थिति में भी लागू होता है।

में मामला इच्छुक दल है पहले से प्रमाणित द्वारा एक और नियंत्रण निकाय , ACERT अनुरोध करता है कॉपी का ऑपरेटर का फ़ाइलें द्वारा पहले का नियंत्रण शरीर . इसके बाद , प्रमाणीकरण प्रारंभिक प्रमाणन मामलों में लागू प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक ऑपरेटर को एक ही समय अवधि में एक ही दायरे के लिए एक से अधिक नियंत्रण निकाय के साथ वैध प्रमाणन समझौते करने की अनुमति नहीं है।

2. अनुबंध पर हस्ताक्षर :

अगले अनुमोदन का आवेदन द्वारा सामान्य प्रबंधक और 30 दिनों के भीतर से इसका सबमिशन , इच्छुक पार्टी और विशेष रूप से उसके कानूनी प्रतिनिधि से नियंत्रण निकाय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाता है। उद्देश्य का अनुबंध है परिभाषा का संविदात्मक दायित्वों का पार्टियों , प्रभावी के लिए का कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2018/848 उत्पादन करने के लिए भरोसेमंद जैविक उत्पाद और रक्षा करें पर्यावरण । अनुबंध के अनुसार नियंत्रण निकाय निरीक्षण करने का दायित्व लेता है ऑपरेटर की सुविधाओं के अनुपालन में उपयुक्त राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ संचालन करके विधान बनाना प्रति वर्ष कम से कम एक साइट ऑडिट, जो भूमि के स्थायी प्रबंधन और जैविक उत्पादों के उत्पादन में योगदान देता है । अनुबंधित ऑपरेटर वर्तमान में लागू विनियमन (ईयू) 2018/848 और आयोग कार्यान्वयन और प्रत्यायोजित विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व लेता है।

निम्नलिखित दस्तावेज़ एक अभिन्न अंग हैं भाग का ऑपरेटर का अनुबंध :

- वह उपस्थित विनियमन प्रमाणीकरण ;
- अनुरोधित प्रमाणन क्षेत्र से संबंधित प्रमाणन विनियमन का अनुलग्नक ;

- c) प्रमाणन लोगो के उपयोग के संबंध में ट्रेडमार्क और लेबलिंग विनियमन, जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले ग्राहक द्वारा प्राप्त किया जाता है;
- d) मूल्य सूची और मूल्य विश्लेषण से संबंधित को अनुरोधित प्रमाणीकरण दायरा , जहां सटीक देय राशि और भुगतान विधि हैं कहा गया है । संयंत्र उत्पादन के मामले में सूची का खेत भी संलग्न है ।

बाद हस्ताक्षर अनुबंध ऑपरेटर है दर्ज कराई में निरीक्षण और प्रमाणीकरण प्रणाली का नियंत्रण निकाय और को ACERT का रजिस्ट्री ऑपरेटरों की , जहाँ यह अवशेष जब तक प्रमाणन प्रदान नहीं किया जाता । यदि लागू हो, तो अनुबंधित ऑपरेटर को रिपोर्ट करना होगा का प्रारंभ इसका गतिविधियाँ में जैविक खेती दस (10) दिनों के भीतर से अनुबंध पर हस्ताक्षर को उस देश का संबंधित प्राधिकरण जहाँ ऑपरेटर स्थित है । कॉपी का यह रिकार्ड रखने के लिए नियंत्रण निकाय को पावती प्रदान करनी होगी।

3. निरीक्षण :

12 महीने के भीतर प्रमाणन समझौते पर हस्ताक्षर , नियंत्रण निकाय आयोजित एक साइट पर निरीक्षण विनियमन (ईयू) 2018/848 और नियंत्रण निकाय की निरीक्षण प्रक्रिया के अनुसार , ताकि:

- सत्यापित करें प्रस्तुत घोषणा -विवरण प्रपत्र और ऑपरेटर के आवेदन के साथ दी गई जानकारी ;
- ऑपरेटर की गतिविधियों का मूल्यांकन करें के अनुसार आईएसओ / आईसी 17065 मानक और आवश्यकताएं विनियमन (ईयू) 2018/848 का से संबंधित जैविक उत्पादन और निर्धारित करें कि क्या की आवश्यकताएं हैं वर्तमान राष्ट्रीय और यूरोपीय जैविक उत्पादन के लिए कानून पूरे किए गए हैं ;
- किसी भी गैर- अनुरूपता की पहचान करें और संबंधित गैर-अनुरूपताओं को दूर करने और सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों के कार्यान्वयन का अनुरोध करें ऑपरेटर का अनुपालन प्रासंगिक ईयू विनियमों के साथ के लिए अनुरोध किया प्रमाणीकरण का दायरा.

निरीक्षण की दिनांक है व्यवस्था की द्वारा द कंट्रोल शरीर ऑपरेटर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए। ऑपरेटर है प्राणी सूचित किया इसके संबंध में अंतिम तारीख का निरीक्षण और निरीक्षण टीम , जो बना होना का एक या अधिक निरीक्षण से कम से कम 5 दिन पहले निरीक्षकों को सूचित किया जाना चाहिए। तिथि के बारे में असहमति के मामले में, निरीक्षण फिर से आयोजित किया जाता है। हालांकि नई तिथि ऑपरेटर को शुरू में अधिसूचित निरीक्षण तिथि से 5 दिन से अधिक नहीं हो सकती है । ऑपरेटर निरीक्षण दल के किसी सदस्य या सदस्यों के संदर्भ में लिखित और उचित आपत्ति उठा सकते हैं । नियंत्रण निकाय द्वारा आपत्ति स्वीकार किए जाने की स्थिति में, जिस सदस्य या सदस्यों के लिए आपत्ति उठाई गई थी, उन्हें प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ऑपरेटर को किसी भी आपत्ति के लिए नियंत्रण निकाय को सूचित करना चाहिए, चाहे वह निरीक्षण तिथि या निरीक्षण दल से संबंधित हो, निरीक्षण से 5 दिन पहले नहीं। निरीक्षण के दौरान ऑपरेटर का सलाहकार मौजूद हो सकता है, यदि ऑपरेटर तदनुसार नियंत्रण निकाय को सूचित करता है। सलाहकार को निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।

नियंत्रण प्रणाली में प्रारंभिक प्रस्तुति के लिए निरीक्षण में शामिल हैं :

- संपूर्ण स्थलीय निरीक्षण का पंजीकृत उत्पादन कारक और उत्पादन प्रक्रिया ;
- साइट पर निरीक्षण का सुविधाएँ ;
- लेखांकन प्रलेखन नियंत्रण ;
- नमूना में आदेश को किसी का पता लगाएं प्रासंगिक ईयू विनियमों के अनुसार जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए गैर-अधिकृत पदार्थ या उन तकनीकों के उपयोग को सत्यापित करने के लिए जो संबंधित ईयू विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, यदि लागू हो । गैर-अधिकृत उत्पादों के उपयोग के संदेह के मामले में नमूना लेना अनिवार्य है ;
- एहतिगत निगरानी संदूषण से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं गैर-अधिकृत उत्पादों द्वारा या पदार्थ .

पूरा होने पर निरीक्षण के एक रिपोर्ट पूरी हो गई जो रिकॉर्ड करता है निरीक्षण परिणाम , विनियमन (ईयू) 2018/848 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और संबंधित प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद मुख्य निरीक्षक सूचित करता है परिणाम के संबंध में ऑपरेटर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण का पहुंचा कर एक नकल रिपोर्ट की। यदि निरीक्षण के दौरान गैर-अनुरूपताएं पाई जाती हैं , तो ऑपरेटर को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नियंत्रण निकाय। सुधारात्मक कार्रवाई नियंत्रण निकाय द्वारा समीक्षा की जाती है और संभावित रूप से इसके अतिरिक्त एक नया निरीक्षण भी किया जाता है । नियंत्रण निकाय विफल रहता है उपाय करने के लिए सहमत सीमा के भीतर गैर -अनुरूपता अवधि, यह मई परिणामस्वरूप प्रमाणन रद्द हो गया उत्पादों की और / या नियंत्रण निकाय के साथ संपन्न प्रमाणन समझौते की समाप्ति में ।

B. प्रमाणीकरण :

सभी प्रलेखन इकट्ठा द्वारा द कंट्रोल शरीर के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया और सभी अन्य उपयुक्त दस्तावेज़ वह भी थे एकत्र किया हुआ हैं प्राणी की समीक्षा द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, जो वैज्ञानिक परिषद का सदस्य भी हो सकता है। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन रिपोर्ट भरता है और प्रमाणन देने या न देने का निर्णय लेता है ।

प्रमाणीकरण निर्णय के बाद ऑपरेटर एसीईआरटी की प्रमाणित ऑपरेटरों की रजिस्ट्री में पंजीकृत है और उत्पाद प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। उन ऑपरेटरों के लिए प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा सकते जो निरीक्षण के दौरान पहचानी गई सभी गैर-अनुरूपताओं को ठीक करने में विफल रहे। प्रमाणन प्रदान करने का अर्थ स्वचालित रूप से प्रमाणन लोगो (ईयू आयोग का लोगो और एसीईआरटी लोगो) का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करना है। नियंत्रण निकाय अपने प्रमाणित जैविक उत्पादों की लेबलिंग की निगरानी करता है और लेबलिंग में शामिल किसी भी अन्य संकेत के संबंध में उसका कोई दायित्व नहीं है, जिस पर सामान्य विधायी आवश्यकताएं लागू होती हैं।

सत्यनिष्ठा नियंत्रण समिति उचित प्रमाणीकरण देने की निगरानी करती है ।

C. निगरानी निरीक्षण :

प्रमाणीकरण देने के बाद एसीईआरटी आयोजित करता है निगरानी आडिट में आदेश सुरक्षित करना निरंतर संतुष्टि का आवश्यकताएं का विनियमन और सत्यापित करें का अनुपालन प्रमाणित ऑपरेटर का गतिविधियाँ जैविक के संबंध में उत्पादन, तैयारी या आयात करें तीसरे से देशों .

निगरानी में निम्नलिखित शामिल हैं :

1) वार्षिक निरीक्षण :

इन्हें विनियमन (ईयू) 848/2018 की आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार और किसी भी मामले में फसल उत्पादन के लिए खेती की गई प्रजातियों के वर्तमान बढ़ते मौसम के भीतर किया जाता है; पशु उत्पादन के लिए प्रजनन वर्ष के भीतर; और तैयारी संचालकों के लिए वर्तमान तैयारी सत्र के भीतर। घोषित ऑडिट के मामले में तारीख परामर्श से निर्धारित किया जाता है ऑपरेटर के साथ. मैं कोई मामला निरीक्षण अवश्य होना चाहिए प्रारंभ में निरीक्षण तिथि से 5 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए नियंत्रण निकाय द्वारा ऑपरेटर को सूचित किया गया। निरीक्षण दल एक का संचालन करता है का पूर्ण भौतिक निरीक्षण परिचालक; ऑपरेटर के लेखांकन दस्तावेज़ की जाँच करता है ; और संभावित रूप से उसके अनुसार नमूनाकरण करता है विनियमन (ईयू) 2018/848 के साथ ।

कुल मिलाकर, सभी ऑपरेटर और ऑपरेटर समूहों को, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 34(2) और 35(8) में संदर्भित लोगों को छोड़कर, वर्ष में कम से कम एक बार अनुपालन के सत्यापन के अधीन होना होगा। अनुपालन के सत्यापन में मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण शामिल होगा।

दो भौतिक मौके पर निरीक्षणों के बीच की अवधि 24 महीने से अधिक नहीं होगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

- संबंधित ऑपरेटर या ऑपरेटर समूह के पिछले निरीक्षणों में कम से कम लगातार तीन वर्षों के दौरान जैविक या रूपांतरित उत्पादों की अखंडता को प्रभावित करने वाले किसी भी गैर-अनुपालन का पता नहीं चला है; तथा
- ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह का मूल्यांकन विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(2) और विनियमन (ईयू) 2017/625 के अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट तत्वों के आधार पर किया गया है, जिसमें गैर-अनुपालन की कम संभावना प्रस्तुत की गई है।

2) अतिरिक्त निरीक्षण :

प्रत्येक वर्ष अघोषित निरीक्षण से गुजरने वाले ऑपरेटरों का चयन नियंत्रण निकाय द्वारा विकसित जोखिम विश्लेषण पर आधारित होगा और निरीक्षणों की योजना उन मानदंडों के अनुसार बनाई जाएगी जो जोखिम के स्तर को निर्धारित करते हैं। नियंत्रण निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वर्ष सभी पंजीकृत ऑपरेटरों में से कम से कम 10% का अतिरिक्त निरीक्षण विनियमन (ईयू) 2018/848 और विनियमन (ईयू) 2021/279 के अनुसार यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा। अतिरिक्त निरीक्षण का कारण हो सकता है कोई भी जानकारी जिससे संदेह पैदा होता है अप्रभावी आवश्यकताओं का अनुप्रयोग विनियमन का द्वारा एक ऑपरेटर , या जहां प्रतिस्थापन का जोखिम है जैविक उत्पाद साथ वे उत्पाद जो उपलब्ध नहीं हैं उत्पादित, तैयार या आयातित से तीसरा विनियमन (ईयू) 2018/848 और प्रासंगिक विनियामक ढांचे के अनुसार देश, जैसा कि वर्तमान में लागू है। इसके अलावा, सालाना किए जाने वाले सभी निरीक्षणों में से 10% अघोषित होंगे। इस तरह के निरीक्षण ऑपरेटर को पूर्व सूचना दिए बिना किए जाते हैं।

3) नमूनाकरण और नमूना विश्लेषण:

ICS-BIO3CC-I1.11 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । नियंत्रण निकाय अंजाम देना वार्षिक ए के लिए नमूने को PERCENTAGE सभी ऑपरेटरों का साथ विनियमन (ईयू) 2018/848, विनियमन (ईयू) 2021/1698 और विनियमन (ईयू) 2021/279 के अनुसार प्रमाणित उत्पाद । हरेक पर नियंत्रण संस्था के कर्मों सैंपलिंग करते हैं नमूना लेकर एसीईआरटी को भेजता है । नियंत्रण निकाय तब को आगे बढ़ाता है नमूना में विश्लेषण के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला जो एसीईआरटी के साथ अनुबंधित है । खातिर परिणामों की पुष्टि करने के लिए काउंटर नमूनों को प्रयोगशाला में रखा जाता है 30 दिन तक . एकदम सही समय निर्भर करता है नमूने का प्रकार और प्रासंगिक पदार्थ जिनके लिए विश्लेषण किया जाता है । सभी निरीक्षणों के दौरान निरीक्षण दल एक नमूना लेता है संदेह के मामले में विश्लेषण उपयोग के संबंध में गैर-अधिकृत उत्पादों का या संभावना है दूषण गैर-अधिकृत उत्पादों द्वारा. इन मामलों में नमूनों की न्यूनतम संख्या (ऑपरेटरों की कुल संख्या का 5%) जिन्हें लेने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, लागू नहीं होती है।

4) के मामले में निगरानी निगरानी निरीक्षण के दौरान गैर-अनुपालन , उनकी सीमा और पर निर्भर करता है गंभीरता , ऑपरेटर को लेना चाहिए सुधारात्मक कार्रवाई निर्दिष्ट सीमा के भीतर समय सीमा निर्धारित नियंत्रण निकाय के परामर्श से । सुधारात्मक उपायों की समीक्षा की जाएगी नियंत्रण निकाय द्वारा। इस मामले में अतिरिक्त निरीक्षण किया जा सकता है. अगर ऑपरेटर विफल हो जाता है उपाय करने के लिए सहमत सीमा के भीतर गैर -अनुपालन समय, इससे यह हो सकता है प्रतिबंधों का प्रवर्तन .

उत्पादन, तैयारी और वितरण के सभी चरणों में सामान्य जोखिम विश्लेषण के आधार पर नियंत्रण निकाय द्वारा वार्षिक और अघोषित निरीक्षण किए जाते हैं, जिसमें कम से कम निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है (विनियमन (ईयू) 2018/848 का अनुच्छेद 38):

क) ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों का प्रकार, आकार और संरचना ;

ख) वह समयावधि जिसके दौरान ऑपरेटर और ऑपरेटर समूह जैविक उत्पादन, तैयारी और वितरण में शामिल रहे हैं;

ग) इस अनुच्छेद के अनुसार किए गए निरीक्षणों के परिणाम ;

घ) की गई गतिविधियों के लिए प्रासंगिक समय बिंदु ;

ई) उत्पाद श्रेणियाँ;

- च) उत्पादों का प्रकार , मात्रा और मूल्य तथा समय के साथ उनका विकास;
- छ) गैर -अधिकृत उत्पादों या पदार्थों के साथ उत्पादों के मिश्रण या संदूषण की संभावना ;
- ज) ऑपरेटरों और ऑपरेटरों के समूहों द्वारा नियमों में छूट या अपवाद लागू करना ;
- (1) गैर-अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तथा उत्पादन, तैयारी और वितरण के प्रत्येक चरण पर गैर-अनुपालन की संभावना;
- (जे) उप-ठेका गतिविधियाँ।

अनुच्छेद 5

संचार - सूचना का आदान-प्रदान

एसीईआरटी अपने नियंत्रण के परिणामों पर आयोग, अन्य नियंत्रण प्राधिकरणों और तीसरे देश में नियंत्रण निकायों के साथ प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान करेगा मान्यता निकाय और सदस्य राज्य, किसी भी उचित अनुरोध पर यह गारंटी देते हैं कि उत्पाद का उत्पादन विनियमन (ईयू) 2018/848 और विनियमन (ईयू) 2021/1698 के अनुसार किया गया है।

एसीईआरटी अपनी पहल पर अन्य मान्यता प्राप्त नियंत्रण निकायों के साथ भी ऐसी जानकारी का आदान-प्रदान कर सकता है।

एसीईआरटी ने तीसरे देश में आयोग, नियंत्रण प्राधिकारियों और नियंत्रण निकायों, मान्यता निकाय और सदस्य राज्यों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए दस्तावेजी प्रक्रियाएं स्थापित की हैं, जिसमें आईसीएस-बीआईओ3सीसी में वर्णित दस्तावेजी साक्ष्यों को सत्यापित करने के उद्देश्य से सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। -पी8 .

अनुच्छेद 6

परिवर्तन

- रूपांतरण अवधि के दौरान उत्पादित उत्पादों को जैविक उत्पादों या रूपांतरण के दौरान उत्पादित उत्पादों के रूप में विपणन नहीं किया जाएगा।
विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1 के अनुपालन में निम्नलिखित उत्पादों को रूपांतरण उत्पादों के रूप में विपणन किया जा सकता है:
(क) पादप प्रजनन सामग्री, बशर्ते कि कम से कम 12 महीने की रूपांतरण अवधि का अनुपालन किया गया हो;
(ख) पौधों से उत्पन्न खाद्य उत्पाद और पौधों से उत्पन्न चारा उत्पाद, बशर्ते कि उत्पाद में केवल एक कृषि फसल घटक शामिल हो, और बशर्ते कि फसल कटाई से पहले कम से कम 12 महीने की रूपांतरण अवधि का अनुपालन किया गया हो।
- जिस फार्म पर जैविक उत्पादन शुरू किया गया था, उसकी रूपांतरण अवधि जल्द से जल्द शुरू होगी जब ऑपरेटर ने एसीईआरटी के साथ एसीईआरटीईफिकेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार नियंत्रण प्रणाली के अधीन अपनी हिस्सेदारी रखी है।
 - रूपांतरण अवधि के दौरान विनियमन (ईयू) 2018/848 में निर्दिष्ट सभी नियम लागू होते हैं;
 - को बुवाई से पहले कम से कम दो साल की रूपांतरण अवधि के दौरान, या घास के मैदान या बारहमासी के मामले में, पार्सल के संबंध में लागू किया जाना चाहिए। चारा, जैविक चारे के रूप में उपयोग से पहले कम से कम दो साल की अवधि के दौरान, या, चारे के अलावा अन्य बारहमासी फसलों के मामले में, जैविक उत्पादों की पहली फसल से पहले कम से कम तीन साल की अवधि के दौरान।
- एसीईआरटी पूर्वव्यापी रूप से किसी भी पिछली अवधि को रूपांतरण अवधि के हिस्से के रूप में मान्यता देने का निर्णय ले सकता है जिसमें फार्म पार्सल प्राकृतिक या कृषि क्षेत्र थे जिन्हें जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किए गए उत्पादों के साथ व्यवहार नहीं किया गया था। इस अवधि को केवल तभी पूर्वव्यापी रूप से ध्यान में रखा जा सकता है, जहां एसीईआरटी को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो, जिससे यह साबित हो कि शर्तों को कम से कम तीन साल की अवधि के लिए पूरा किया गया था।
- ऊपर उल्लिखित रूपांतरण अवधि निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित स्थितियाँ मेल खाएंगी:
 - एसीईआरटी केवल रूपांतरण अवधि की पूर्वव्यापी मान्यता के लिए आवेदनों की समीक्षा करेगा, यदि ऑपरेटर ऐसा अनुरोध करने के लिए एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में, सबूत का भार ऑपरेटर पर होता है।
 - यदि आवेदक द्वारा कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ACERT रूपांतरण अवधि की शुरुआत की तारीख से तुरंत पहले की किसी भी अवधि को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है।
 - यदि नियंत्रण प्रणाली में पंजीकृत कोई ऑपरेटर रूपांतरण अवधि के भाग के रूप में किसी पिछली समयावधि की पूर्वव्यापी मान्यता के लिए अनुरोध करता है, तो पार्सल में अनुरोध ACERT को प्रस्तुत किया जाता है और उसके साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए, जैसा कि विनियमन (EC) 2020/464 में वर्णित है।
नियंत्रण निकाय अनुरोध का मूल्यांकन करने के बाद और यदि वह सहमत है, तो संबंधित पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है
- एसीईआरटी, कुछ मामलों में, जहां भूमि या उसके एक या अधिक पार्सल उन उत्पादों या पदार्थों से दूषित हो गए हैं जो जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं हैं, संबंधित भूमि या पार्सल के लिए रूपांतरण अवधि को पैराग्राफ में निर्दिष्ट अवधि से आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। 1(ii) उन पार्सल के मामले में जो पहले ही जैविक खेती में परिवर्तित हो चुके हैं या रूपांतरण की प्रक्रिया में हैं, और जिन्हें ऐसे

उत्पाद के साथ व्यवहार किया जाता है जो जैविक उत्पादन के लिए अधिकृत नहीं है। इस मामले में, रूपांतरण अवधि की लंबाई निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी:

- संबंधित उत्पाद के क्षरण की प्रक्रिया, रूपांतरण अवधि के अंत में, मिट्टी में और, बारहमासी फसल के मामले में, पौधे में अवशेषों के एक नगण्य स्तर की गारंटी देगी;
- उपचार के बाद की फसल को जैविक उत्पादन विधियों के संदर्भ में नहीं बेचा जा सकता है। एसीईआरटी विशिष्ट तीसरे देश में कार्यरत अन्य नियंत्रण निकायों और यूरोपीय आयोग को अनिवार्य उपायों की आवश्यकता के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

अनुच्छेद 7

समानांतर उत्पादन

- एक संयंत्र उत्पादन संचालक एक ही क्षेत्र में जैविक और गैर-जैविक उत्पादन इकाइयां चला सकता है, केवल बारहमासी फसलों के लिए, जिसके लिए कम से कम तीन साल की खेती की अवधि की आवश्यकता होती है, जहां किस्मों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है और केवल तभी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:
 - प्रश्न में उत्पादन एक रूपांतरण योजना का हिस्सा है जिसके संबंध में निर्माता एक दृढ़ वचन देता है और जो कम से कम संभव अवधि में संबंधित क्षेत्र के अंतिम भाग को जैविक उत्पादन में बदलने की शुरुआत का प्रावधान करता है जो किसी भी समय नहीं हो सकता है घटना अधिकतम पाँच वर्ष से अधिक की हो;
 - प्रत्येक संबंधित इकाई से प्राप्त उत्पादों के स्थायी पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं;
 - एसीईआरटी को प्रत्येक संबंधित उत्पाद की कटाई के बारे में कम से कम 48 घंटे पहले सूचित किया जाता है;
 - कटाई पूरी होने पर, निर्माता एसीईआरटी को संबंधित इकाइयों पर कटाई की गई सटीक मात्रा और उत्पादों को अलग करने के लिए लागू किए गए उपायों के बारे में सूचित करता है;
 - विनियमन (ईयू) 2018/848 और विनियमन (ईयू) 2021/1698 में निर्दिष्ट रूपांतरण योजना और नियंत्रण उपायों को एसीईआरटी द्वारा अनुमोदित किया गया है; रूपांतरण योजना की शुरुआत के बाद प्रत्येक वर्ष इस अनुमोदन की पुष्टि की जाएगी;
- उत्पादकों के अलावा, उपरोक्त शर्तें भी लागू हो सकती हैं:
 - एसीईआरटी से सहमत कृषि अनुसंधान या औपचारिक शिक्षा के लिए इच्छित क्षेत्रों के मामले में;
 - बीज उत्पादन, वानस्पतिक प्रसार सामग्री और प्रत्यारोपण आदि के मामले में
 - चरागाह के मामले में विशेष रूप से चराई के लिए उपयोग किया जाता है।

अनुच्छेद 8

गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री के उपयोग के लिए प्राधिकरण

- पादप प्रजनन सामग्री के अलावा अन्य पौधों और पादप उत्पादों के उत्पादन के लिए केवल जैविक पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाएगा।
- पादप प्रजनन सामग्री के अलावा अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली जैविक पादप प्रजनन सामग्री प्राप्त करने के लिए, मातृ पौधा और, जहां प्रासंगिक हो, पादप प्रजनन सामग्री उत्पादन के लिए इच्छित अन्य पौधों का उत्पादन विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार किया जाना चाहिए। कम से कम एक पीढ़ी के लिए, या, बारहमासी फसलों के मामले में, दो बढ़ते मौसमों के दौरान कम से कम एक पीढ़ी के लिए।
- एसीईआरटी जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए पादप प्रजनन सामग्री का उत्पादन करने वाले ऑपरेटरों को गैर-कार्बनिक पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जब मातृ पौधे या, जहां प्रासंगिक हो, पादप प्रजनन सामग्री के उत्पादन के लिए अन्य पौधों का इरादा हो और पैराग्राफ 2 के अनुपालन में उत्पादित किया गया हो। यह लेख पर्याप्त मात्रा या गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं है, और ऐसी सामग्री को जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए बाजार में रखने के लिए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(ए) उपयोग की गई गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री को कटाई के बाद विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 24(1) के अनुसार अधिकृत उत्पादों के अलावा अन्य पादप संरक्षण उत्पादों से उपचारित नहीं किया गया है, जब तक कि संबंधित सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र में किसी दी गई प्रजाति की सभी किस्मों और विषम सामग्री के लिए फाइटोसैनिटरी उद्देश्यों के लिए विनियमन (ईयू) 2016/2031 के अनुसार रासायनिक उपचार निर्धारित नहीं किया गया हो। जहां ऐसे निर्धारित रासायनिक उपचार से उपचारित गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिस भूमि पर उपचारित पादप प्रजनन सामग्री उगा रही है, वह जहां उपयुक्त हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II के भाग I के बिंदु 1.7.3 और 1.7.4 में दिए गए अनुसार रूपांतरण अवधि के अधीन होगी;

(बी) उपयोग की जाने वाली गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री उन प्रजातियों का अंकुर नहीं है जिनका खेती चक्र एक बढ़ते मौसम में पूरा हो जाता है, अंकुर के प्रत्यारोपण से लेकर उत्पाद की पहली फसल तक;

(सी) पादप प्रजनन सामग्री अन्य सभी प्रासंगिक जैविक पादप उत्पादन आवश्यकताओं के अनुपालन में उगाई जाती है;

(डी) द गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग करने का प्राधिकार उस सामग्री को बोने या रोपने से पहले प्राप्त किया जाएगा;

प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारी, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को और एक समय में एक सीजन के लिए प्राधिकरण प्रदान करेगा, और अधिकृत पौधे प्रजनन सामग्री की मात्रा सूचीबद्ध करेगा ;

(एफ) बिंदु (ई) से निरादर के माध्यम से, सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किसी दी गई प्रजाति या उप-प्रजाति या गैर-कार्बनिक पौधों की प्रजनन सामग्री की विविधता के उपयोग के लिए सालाना सामान्य प्राधिकरण दे सकते हैं और प्रजातियों की सूची बना सकते हैं, उप-प्रजातियां या किस्में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इसे वार्षिक आधार पर अद्यतन रखा जाता है। उस स्थिति में, वे सक्षम प्राधिकारी अधिकृत गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री की मात्रा सूचीबद्ध करेंगे ;

(छ) इस अनुच्छेद के अनुसार प्रदान किए गए प्राधिकरण 31 दिसंबर 2036 को समाप्त हो जाएंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 से विचलन के रूप में, तीसरे देशों में ऑपरेटर अनुच्छेद 5(1), दूसरे उपपैरा, बिंदु (ए) के अनुसार रूपांतरण में पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अनुसार अधिकृत पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जब तीसरे देश के क्षेत्र में जिसमें ऑपरेटर स्थित है, जैविक पादप प्रजनन सामग्री पर्याप्त गुणवत्ता या मात्रा में उपलब्ध नहीं होने का औचित्य सिद्ध हो।

प्रासंगिक राष्ट्रीय नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, तीसरे देशों में ऑपरेटर अपने स्वयं के स्वामित्व से प्राप्त जैविक और परिवर्तित दोनों प्रकार की पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

एसीईआरटी किसी तीसरे देश के परिचालकों को जैविक उत्पादन इकाई में अजैविक पौध प्रजनन सामग्री का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जब जैविक या रूपांतरित पौध प्रजनन सामग्री या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अनुसार अधिकृत पौध प्रजनन सामग्री तीसरे देश के भू-भाग में, जिसमें परिचालक स्थित है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5, 6, 7 और 8 में निर्धारित शर्तों के अधीन पर्याप्त गुणवत्ता या मात्रा में उपलब्ध न हो।

5. गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री को कटाई के बाद विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 24(1) के अनुसार पादप प्रजनन सामग्री के उपचार के लिए अधिकृत उत्पादों के अलावा अन्य पादप संरक्षण उत्पादों से उपचारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में किसी दी गई प्रजाति की सभी किस्मों और विषम सामग्री के लिए फाइटोसैनिटरी उद्देश्यों के लिए विनियमन (ईयू) 2016/2031 के अनुसार रासायनिक उपचार निर्धारित नहीं किया गया हो, जिसमें पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाना है।

जहां पहले पैराग्राफ में निर्दिष्ट निर्धारित रासायनिक उपचार के साथ उपचारित गैर-जैविक पौधे प्रजनन सामग्री का उपयोग किया जाता है, वह पारसल जिस पर उपचारित पौधे प्रजनन सामग्री बढ़ रही है, जहां उपयुक्त हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग I के बिंदु 1.7.3 और 1.7.4 में दिए गए अनुसार रूपांतरण अवधि के अधीन होगा।

6. गैर-जैविक पौध प्रजनन सामग्री के उपयोग के लिए प्राधिकरण फसल की बुवाई या रोपण से पहले प्राप्त किया जाएगा।

7. गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री का उपयोग करने का प्राधिकरण एक समय में एक सीजन के लिए व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को दिया जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी, नियंत्रण प्राधिकरण या प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार निकाय अधिकृत पादप प्रजनन सामग्री की मात्रा सूचीबद्ध करेगा।

8. सक्षम प्राधिकारी उन प्रजातियों के पौधों के मामले में गैर-जैविक पौधों के उपयोग को अधिकृत नहीं करेंगे जिनका खेती चक्र एक बढ़ते मौसम में पूरा हो गया है, अंकुर के प्रत्यारोपण से लेकर उत्पाद की पहली फसल तक।

9. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में निर्धारित गैर-जैविक पौधों की प्रजनन सामग्री के उपयोग के लिए प्राधिकरण देने से पहले, एसीईआरटी निम्नलिखित जानकारी का आकलन करेगा और दी गई प्रत्येक अस्वीकृति के लिए एक औचित्य तैयार करेगा :

(ए) वैज्ञानिक और सामान्य नाम (सामान्य और लैटिन नाम);

(बी) विविधता ;

(सी) बीजों का कुल वजन या संबंधित पौधों की संख्या;

(डी) जैविक या रूपांतरण पादप प्रजनन सामग्री की उपलब्धता ;

(ई) दस्तावेज या ऑपरेटर का एक बयान जो साबित करता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में निर्धारित गैर-जैविक पादप प्रजनन सामग्री के उपयोग के लिए प्रत्येक प्राधिकरण के लिए, ACERT विनियमन 2021/1698 के अनुच्छेद 4 में संदर्भित वार्षिक रिपोर्ट में प्रासंगिक जानकारी शामिल करेगा।

अनुच्छेद 9

भयावह परिस्थितियाँ

एसीईआरटी अस्थायी आधार पर विनियमन (ईसी) संख्या 606/2009 के अनुलग्नक आईबी के अनुसार निर्धारित की जाने वाली अधिकतम मात्रा तक सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, यदि किसी फसल वर्ष की असाधारण जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी तीसरे देश के किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में जैविक अंगूरों की स्वच्छता स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि गंभीर जीवाणु या कवक के हमले के कारण वाइन निर्माता को तुलनीय अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करना पड़ता है।

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 22(1) और 45(3) में निर्दिष्ट असाधारण उत्पादन नियमों के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थिति को 'प्रतिकूल जलवायु घटना' से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी परिस्थितियों के रूप में योग्य बनाने के लिए, ' पशु रोग', एक 'पर्यावरणीय घटना', एक 'प्राकृतिक आपदा' या 'विनाशकारी घटना', साथ ही किसी भी तुलनीय स्थिति, एसीईआरटी किसी स्थिति को तीसरे देश के संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान के आधार पर विनाशकारी परिस्थितियों के रूप में पहचान सकता है जिसमें स्थिति है होता है, जहां उपलब्ध होता है। यदि ऐसा कोई बयान उपलब्ध नहीं है, तो एसीईआरटी की ऐसी कोई भी मान्यता भयावह परिस्थितियों को उचित ठहराने वाले आधिकारिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होगी।

एसीईआरटी द्वारा अनुमोदन पर, व्यक्तिगत ऑपरेटर उपरोक्त अपवादों के उपयोग के दस्तावेजी साक्ष्य रखेंगे। एसीईआरटी संबंधित तीसरे देश में विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार अनुपालन के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त अन्य सभी नियंत्रण निकायों और आयोग को इस लेख के प्रावधानों के तहत दिए गए अपवादों के बारे में सूचित करेगा।

अनुच्छेद 10

लेबलिंग - अनिवार्य संकेत

जहां जैविक उत्पादन पद्धति का उल्लेख करने वाले शब्दों का उपयोग किया जाता है:

(ए) आवेदक जिस तीसरे देश में काम कर रहा है उसके आधार पर एसीईआरटी के कोड नंबर भी लेबलिंग में दिखाई देंगे;

(बी) पहले से पैक किए गए भोजन के संबंध में यूरोपीय संघ का जैविक उत्पादन लोगो भी पैकेजिंग पर दिखाई दे सकता है;
(ग) जहां सामुदायिक लोगो का उपयोग किया जाता है, उस स्थान का संकेत जहां कृषि संबंधी कच्चे माल, जिनसे उत्पाद बनाया गया है, की खेती की गई है, वह भी लोगो के समान दृश्य क्षेत्र में दिखाई देगा और उपयुक्त रूप में निम्नलिखित में से एक रूप लेगा:

- 'गैर-ईयू कृषि', जहां कृषि कच्चा माल तीसरे देशों में उगाया गया हो,
- 'ईयू/गैर-ईयू कृषि', जहां कृषि कच्चे माल का एक हिस्सा समुदाय में तथा एक हिस्सा किसी तीसरे देश में उगाया गया है।

उपर्युक्त संकेत 'ईयू' या 'गैर-ईयू' को किसी देश द्वारा प्रतिस्थापित या पूरक किया जा सकता है, यदि उत्पाद में प्रयुक्त सभी कृषि कच्चे माल उस देश में उगाए गए हों।

उपर्युक्त 'ईयू' या 'गैर-ईयू' संकेत के लिए, अवयवों के भार के अनुसार छोटी मात्राओं को नजरअंदाज किया जा सकता है, बशर्ते कि नजरअंदाज किए गए अवयवों की कुल मात्रा, कृषि मूल के कच्चे माल के भार के अनुसार कुल मात्रा के 2% से अधिक न हो।

उपर्युक्त 'ई.यू.' या 'गैर-ई.यू.' संकेत उत्पाद के विक्रय विवरण से अधिक प्रमुख रंग, आकार और शैली में प्रदर्शित नहीं होगा।

जैविक उत्पादन विधि के संकेत को एक सुस्पष्ट स्थान पर इस प्रकार अंकित किया जाएगा कि वह आसानी से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से पठनीय और अमिट हो।

अनुच्छेद 11

तीसरे देश, कोड संख्या और उत्पाद श्रेणियाँ

, ACERT को तीसरे देशों के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा निम्नलिखित कोड संख्या प्रदान की गई है और इसे अनुपालन के उद्देश्य के लिए एक नियंत्रण निकाय के रूप में मान्यता दी गई है।

तीसरा देश	कोड अंक	उत्पादों की श्रेणी						
		ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* उपरोक्त उत्पाद श्रेणियों के अक्षर निम्नलिखित को दर्शाते हैं:

ए - अप्रसंस्कृत पौधे और पौध उत्पाद, जिनमें बीज और अन्य पौध प्रजनन सामग्री शामिल हैं;

बी - पशुधन और अप्रसंस्कृत पशुधन उत्पाद;

सी - शैवाल और अप्रसंस्कृत जलीय कृषि उत्पाद;

डी - खाद्य के रूप में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, जिसमें जलीय कृषि उत्पाद भी शामिल हैं;

ई - फ्रीड ;

एफ - शराब ;

जी - इस विनियमन के अनुलग्नक I में सूचीबद्ध अन्य उत्पाद या पिछली श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए उत्पाद।

अनुच्छेद 12

प्रमाणित ऑपरेटरों की सूची

ACERT अपनी वेबसाइट (www.a-cert.org) पर तीसरे देशों में नियंत्रण प्रणाली के अधीन सभी ऑपरेटरों की सूची रखता है। सूची को एक संपर्क बिंदु के साथ पाया जा सकता है जहाँ सभी ऑपरेटरों की प्रमाणन स्थिति के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इसमें संबंधित सभी उत्पाद श्रेणियाँ, साथ ही सभी निलंबित और अप्रमाणित ऑपरेटर और उत्पाद शामिल हैं। सभी जानकारी किसी भी इच्छुक पक्ष के लिए उपलब्ध है।

अनुच्छेद 13

प्रमाणपत्र

ACERT प्रमाणपत्र प्रदान करेगा जो इसके नियंत्रण के अधीन है और जो अपनी गतिविधियों के दायरे में विनियमन (EU) 2018/848 और विनियमन (EU) 2021/1006 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है। दस्तावेजी साक्ष्य ऑपरेटर की पहचान और उत्पादों के प्रकार या श्रेणी के साथ-साथ वैधता की अवधि की अनुमति देता है।

- सभी ऑपरेटर अपने आपूर्तिकर्ताओं के दस्तावेजी साक्ष्यों का सत्यापन करेंगे।
- दस्तावेजी साक्ष्य का प्रपत्र विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध VI के अनुसार तैयार किया गया है।

अनुच्छेद 14

संचार - सूचना का आदान-प्रदान

एसीईआरटी किसी तीसरे देश में अन्य नियंत्रण प्राधिकरणों और नियंत्रण निकायों के साथ अपने नियंत्रण के परिणामों पर प्रासंगिक जानकारी का आदान-प्रदान करेगा, यह गारंटी देने की आवश्यकता से उचित किसी भी अनुरोध पर कि उत्पाद विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार उत्पादित किया गया है।

एसीईआरटी अपनी पहल पर अन्य मान्यता प्राप्त नियंत्रण निकायों के साथ भी ऐसी जानकारी का आदान-प्रदान कर सकता है।

एसीईआरटी ने किसी तीसरे देश में कार्यरत सभी नियंत्रण निकायों के साथ सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए दस्तावेजी प्रक्रियाएं स्थापित की हैं, जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य को सत्यापित करने के उद्देश्य से सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

सूचना का प्रकाशन

एसीईआरटी तीसरे देशों में नियंत्रण प्रणाली के अधीन ऑपरेटरों की अद्यतन सूची जनता को उपलब्ध कराता है। सूची में प्रत्येक ऑपरेटर से संबंधित अद्यतन दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं, जो उनकी प्रमाणन स्थिति और संबंधित उत्पाद श्रेणियों को दर्शाते हैं। यह एक संपर्क बिंदु भी प्रदान करता है जहां निलंबित और अप्रमाणित ऑपरेटरों और उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। सारी जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट (www.a-cert.org) पर पाई जा सकती है।

अनुच्छेद 16

अनुपालन न होने की स्थिति में उपाय

गैर-अनुपालन के मामले में, ACERT तुरंत अन्य नियंत्रण निकायों, नियंत्रण प्राधिकरणों और यूरोपीय आयोग के साथ संवाद करेगा, जो भी उपाय उसने लगाए हैं। संचार का स्तर अनियमितता या उल्लंघन की गंभीरता और सीमा पर निर्भर करेगा।

एसीईआरटी उन तीसरे देशों में, जहां यह विनियमन (ईयू) 2018/848 और संबंधित आयोग कार्यान्वयन और प्रत्यायोजित विनियमों के अनुपालन के उद्देश्य से काम करता है, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुसार जैविक उत्पादन पर संकेत और यूरोपीय समुदाय के लोगों के उपयोग के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए जो भी उपाय और प्रतिबंध आवश्यक हैं, उन्हें लागू करेगा।

एसीईआरटी अपनी पहल पर, अनियमितताओं या उल्लंघनों के संबंध में किसी अन्य जानकारी की मांग कर सकता है।

अन्य नियंत्रण प्राधिकरणों या नियंत्रण निकायों के नियंत्रण में उत्पादों के संबंध में पाई जाने वाली अनियमितताओं या उल्लंघन के मामले में, एसीईआरटी उन अधिकारियों या निकायों को भी बिना देरी के सूचित करेगा।

एसीईआरटी ने एक कैटलॉग विकसित और अपनाया है जिसमें उत्पादों की जैविक स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी उल्लंघनों और अनियमितताओं और संबंधित उपायों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें नियंत्रण प्रणाली के तहत ऑपरेटरों द्वारा उल्लंघन या अनियमितताओं के मामले में लागू किया जाना है, जो जैविक उत्पादन में शामिल हैं।

अनुच्छेद 17

तांबे के यौगिक और जैविक खेती में उनका उपयोग

विनियमन (ईयू) 2018/848 में वर्णित कॉपर हाइड्रॉक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, बोर्डो मिश्रण और ट्राइबेसिक कॉपर सल्फेट के रूप में कॉपर यौगिकों का उपयोग केवल जैविक पौधों के उत्पादन में जीवाणुनाशकों और कवकनाशकों के रूप में 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की सीमा तक किया जा सकता है। केवल बारहमासी फसलों के मामले में, एक ऑपरेटर किसी दिए गए वर्ष में 6 किलोग्राम की सीमा को कम कर सकता है और उससे अधिक कर सकता है, बशर्ते कि उस वर्ष और चार पूर्ववर्ती वर्षों की 5 साल की अवधि में वास्तव में उपयोग की गई औसत मात्रा 6 किलोग्राम से अधिक न हो। इस छूट का लाभ लेने से पहले, ऑपरेटर को दिए गए वर्ष में 6 किलोग्राम की सीमा को पार करने की आवश्यकता के बारे में सबूत प्रदान करते हुए एसीईआरटी को विस्तार से सूचित करना होगा।

जल और गैर-लक्षित जीवों जैसे बफर जोन की सुरक्षा के लिए भी जोखिम न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।